2016/2022

मामला पेशी हुआ। वकील प्रतिवादी एवं वकील वादी अनुपस्थित। मामले के तथ्यों पर बहस सुनी गई। नथी कायम की गई। वकील वादी के बार बार कहने पर न्यायालय समय से न्यायालय द्वारा समय तक अवसर मांगा गया बावजूद वकील वादी/वादीगण उपस्थित नहीं हुए। अ.वकील वादी का वाद अकस्मात अकेले पैरवी के कारण बिना जानकारी मामले की नजर के कार्यालय पैरवी अधिकारी स्वीकार करता है। जिसे अ.नि. 2016/2022 को चुके न्यायालय में प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.13 16:24:33 IST
Reason: SelfAttested